

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, टोंकमुकाम टोंक व अलजाम डॉ.सूरजसिंह नेगी, आर.ए.एस. दारा अध्याशित

उनवान

सीताराम पुत्र भूरा जाति बैरवा निवासी हिंगोनिया बुजुर्ग, तहसील निवाई जिला टोंक, राज0

वादी

बनाम

1. रामनिवास पुत्र सरवणा जाति बैरवा निवासी ग्राम लहन, हाल निवासी ग्राम डींगरडा, पंचायत बोरखण्डी, तहसील पीपलू जिला टोंक
2. बनवारीलाल पुत्र सरवणा जाति बैरवा निवासी ग्राम लहन, हाल निवासी ग्राम डींगरडा, पंचायत बोरखण्डी, तहसील पीपलू जिला टोंक
3. रंगलाल पुत्र सरवणा जाति बैरवा निवासी ग्राम लहन, हाल निवासी ग्राम डींगरडा, पंचायत बोरखण्डी, तहसील पीपलू जिला टोंक
4. बदाम पुत्री सरवणा जाति बैरवा निवासी ग्राम लहन, हाल निवासी ग्राम डींगरडा, पंचायत बोरखण्डी, तहसील पीपलू जिला टोंक
5. पाना पुत्री सरवणा जाति बैरवा निवासी ग्राम लहन, हाल निवासी ग्राम डींगरडा, पंचायत बोरखण्डी, तहसील पीपलू जिला टोंक
6. प्रेम पुत्री सरवणा जाति बैरवा निवासी ग्राम लहन, हाल निवासी ग्राम डींगरडा, पंचायत बोरखण्डी, तहसील पीपलू जिला टोंक
7. नोरती पुत्री सरवणा जाति बैरवा निवासी ग्राम लहन, हाल निवासी ग्राम डींगरडा, पंचायत बोरखण्डी, तहसील पीपलू जिला टोंक
8. गुलाब पत्नी सरवणा जाति बैरवा निवासी ग्राम लहन, हाल निवासी ग्राम डींगरडा, पंचायत बोरखण्डी, तहसील पीपलू जिला टोंक
9. शाखा प्रबन्धक, आई.सी.आई. सी.आई. बैंक शाखा टोंक
10. तहसीलदार, टोंक

प्रतिवादीगण

उपरिथत-श्री नवीन चौधरी-वकील वादी

दावा बाबत- तकासमा आराजियातदावा नं० 42 / 2017

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी, टोंक व हाजरी वकील वादी मिनजामिन मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादी मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व अंतिम डिक्री जारी जाती है कि दावा वादी तकासमा रिपोर्ट के अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है। पक्षकारो के मध्य संलग्न स्टाम्प अनुसार भूमि रहेगी।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 4.9.2017 को जारी किया गया।

(डॉ.सूरजसिंह नेगी)

उपखण्ड अधिकारी, टोंक

मोहर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्तनामा वकील		
महन्तनामा वकील	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहन	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीशान			मिजान		

नोट:- इसी खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी, टोंक

टीके (राज 0)